तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/3/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र 07R11 CPC पेश हुई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रतिवादी क्र. ② द्वारा प्रार्थनापत्र 07R11 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि- · वादग्रस्त आराजी 91(3) की कार्यवाही होकर आवासीय भूमि पट्टे का नामा.सं. 939 दिनांक 26/9/23 से दर्ज हो चुकी है। - वादीगण द्वारा हस्तगत आराजी के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद अपर सिविल न्यायाधीश क्र.-1 कोटा के यहाँ प्रस्तुत किया गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा 01/12/24 को खारिज कर दिया गया है, जिसकी अपील वादीगण द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कोटा के यहाँ पेश की गई है, जो वर्तमान में जेरकार है। - वादीगणों को उक्त वाद प्रस्तुत करने का विधिक कारण उनके वाद के अभिवचनों से प्रकट नहीं होता।	
उपखण्ड अधिकारी को।		

UIT के खाते दर्ज होने से UIT
उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार है।
और आवश्यक पक्षकार बनाये बिना
वादीगणों का उक्त वाद मेन्टेनेबल
नहीं होने से स्वतः ही निरस्त
योग्य है।

- विवादित आराजी आवासीय होकर UIT के खाते दर्ज होने से उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से इस न्यायालय को सुनने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है।
- उक्त आराजी UIT में निहित होने के कारण वादीगणों को उक्त घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है।
- उक्त आधार पर प्रतिवादी (2) द्वारा निवेदन किया गया है कि वादीगण का वाद इसी स्तर पर सव्यय निरस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

...दीगण द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र
...कर निवेदन किया गया है कि-

- वादीगण द्वारा वादपत्र में इन्द्राज दुरुस्ती की रिलीफ चाही गई है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादीगण व वादीगणों के पूर्वजों के नाम दर्ज रिकार्ड थी।
- वादीगण का निवेदन है कि वादआरंभ के सम्बन्ध में इस स्टेज पर वाद कारण के आपत्ति को नहीं देखा जा सकता, यह साक्ष्य व तनकीयात कायम किये जाने के बाद ही निर्णीत होने योग्य है।
- अतः वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 07 R11 एवं 151 CPC को सव्यय खारिज किया जावे।

हमने विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण ... बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया ...या 07 R11 एवं धारा 151 CPC से ...सम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया।
प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित है
विवादग्रस्त आराजी आवासीय होकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	वर्तमान में नगर विकास न्यास, कोटा के दर्ज होने से नगर विकास न्यास कोटा प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, जिसे हस्तगत प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी प्रमाणित है कि वादीगण द्वारा सर्वप्रथम स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम-1 (क) में प्रस्तुत किया गया था, जो सिविल न्यायालय द्वारा 01/02/2024 को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो वर्तमान में लम्बित है। हमारे विनम्र मत में सिविल न्यायालय में दावा खारिज होने पर उन्हीं तथ्यों के आधार पर हस्तगत वाद प्रस्तुत किया जाना न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। साथ ही वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्र. 2

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हुक्म की तामील से जारी हुए

इस आक्षेप का भी कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया है कि विवादग्रस्त आराजी 90B के तहत आवासीय भूमि होने से वादीगण का यह वाद विधि द्वारा वर्जित भी है।

(A) उक्त परिस्थितियों में जबकि विवादित आराजी 90B के अन्तर्गत आवासीय होकर UIT के खाते दर्ज रिकार्ड है, विवादित आराजी पर निषेधाज्ञा से सम्बन्धित वाद वर्तमान में न्यायालय सिविल एवं सत्र न्यायाधीश में लंबित है, इस प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O7 R11 एवं धारा 151 CPC स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

(A) अत: प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O7 R11 एवं धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती

5 उपखण्ड अधिकारी को।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	एवं स्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 17/3/25 उपजिला अधिकारी का।